प्रेषक,

श्री एस0आर0लाखा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊः दिनाँकः 29 जनवरी, 2000

विषय :– विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि शासन / राज्य नागर विकास अभिकरण, उ0प्र0 (सूडा) द्वारा विभिनन योजनाओं के लिए जनपदों के लिए जो धनराशि स्वीकृत की जाती है, उक्त धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में जनपद के जिला नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी तथा उसके निम्न स्तर के अधिकारी, अपने स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र रिपोर्ट राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 (सूडा) एवं शासन को उपलब्ध करा देते हैं। उक्त के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जाती है जिससे सम्बन्धित जिलाकधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण को पूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं हो पाती हैं अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं किये गये कार्यों के सम्बन्द में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट शासन व निदेशक, सूडा को सम्बन्धित जनपद क जिलाधिकारी / अध्यख जिला नगरीय विकास अभिकरण के स्वयं के हस्ताक्षर से ही उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी / अध्यक्ष डूडा के हस्ताक्षर से प्राप्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट / उपायोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होनें पर ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीयं हस्त पुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 के रूप पत्र 42–1 पैराग्राफ–369–एच में निर्धारित प्रपत्र में ही उपलब्ध कराई जाय।

भवदीय

(एस0आर0लाखा)

सं0–293 (1) / 69.01.2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, राजय नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्तों को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उक्त प्रमाण पत्रों / रिर्पोट निर्धारित प्रपत्र पर सूडा तथा शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दें।
(3) समस्त परियोजना निदेशक / परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0
(4) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(मुनीन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव